धनबाद, मंगलवार
10 दिसंबर 2019
आसनसोल
मूल्य ₹ 5.00
पृष्ठ 14

दैनिक जागरण

मानवाधिकार दिवस

www.jagran.com

प. बंगाल, झारखंड, बिहार, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से प्रकाशित

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में नहीं होगी निशानेबाजी चैंपियनशिप 12

'पीएमओ में शक्ति का केंद्रीकरण ठीक नहीं' 11

डीपीएस | कानून के तहत अलग-अलग अपराधों में अलग-अलग सजा का है प्रावधान

शिक्षक-शिक्षिकाओं को दी गई पास्को एक्ट की जानकारी

दिल्ली पब्लिक स्कूल आसनसोल में पास्को एक्ट पर कार्यशाला में उपस्थित शिक्षक-शिक्षिकाएं ● जागरण

जागरण संवाददाता,आसनसोल : बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की घटनाओं को बढ़ते देख दिल्ली पब्लिक स्कूल आसनसोल में प्रधानाचार्य आरडी शर्मा ने सोमवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान शिक्षक-शिक्षिकाओं को पास्को एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट) की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रधानाचार्य आरडी शर्मा ने कहा कि इस कानून के तहत अलग-अलग अपराधों में अलग-अलग सजा का प्रावधान है। 18 साल से कम किसी भी मासूम के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो वह पास्को एक्ट के तहत आता है। इस कानून के लगने पर तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति यह जनता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसे इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में करनी चाहिए, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे छह महीने का कारावास और आर्थिक दंड दिया जा सकता है। इसमें पुलिस को बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए तत्काल व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जाती है। पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि मामले को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति की निगरानी में लाए ताकि सीडब्ल्यूसी बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा सके। इस अधिनियम में मेडिकल जांच का प्रावधान है जो पीड़ित के माता-पिता की उपस्थिति में महिला चिकित्सक द्वारा ही की जानी अनिवार्य है। इस नियम में केस की सुनवाई एक विशेष अदालत द्वारा बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान है। इस दौरान मासूम की पहचान गुप्त रखने की कोशिश की जानी चाहिए। इस अधिनियम में यौन शोषण का मामला घटना घटने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया जाना चाहिए। प्रधानाचार्य ने कहा कि शिक्षक समाज का मेरुदंड है, छात्र का उसके साथ एक विशिष्ट संबंध और अटूट विश्वास होता है इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हमें पास्को जैसे कानून की जानकारी हो।